न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 123/2018

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट

चूनाराम पुत्र मोडाराम जाति जाट
निवासी धुंधवालो की ढाणी, तहसील व जिला नागौर।

तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री रमेश ढाका अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:23.08.2018

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 151/2017 सरकार बनाम चूनाराम में निर्णय दिनांक 27.11.17 के तहत मौजा धुंधवालो की ढाणी के खसरा नं. 1200 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.03.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 10.04.18 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को उक्त निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नही थी और न ही विधिनुसार किसी भी प्रकार का कोई नोटिस तामील के लिये लेकर तामील कुनिन्दा आया। दिनांक 20.03.18 को पटवारी हल्का ने बताया कि खसरा नं. 1200 को रास्ता की मानकर अपीलांट के खिलाफ अतिक्रमण की कार्यवाही की गई है। तब अपीलांट दिनांक 23.03.18 को नागौर आया तथा नकलों के लिये आवेदन पेश किया। तब उसे एकतरफा पारित आदेश की जानकारी हुई। जानकारी के दिवस से उक्त अपील अंदर मियाद पेश की गई। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाब व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही दिनांक 27.11.17 को निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। जो न्याय के सामान्य सिद्वान्तो के खिलाफ होने से निरस्तनीय है।

2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिनुसार तामील पूर्ण हुए बिना ही तामील पूर्ण मानने में भारी कानूनी गलती की है। अपीलांट को कोई नोटिस नही मिला और न ही उसने लेने से इंकार किया है। तामील कुनिन्दा ने ऑफिस में बैठकर ही सारी तामीलों पर रिपोर्ट की है। जिससे निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(III)–अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा तथाकथित रिपोर्ट की सत्यता की जांच किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अपीलांट का खसरा नं. 1200 के रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु रास्ते की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही है और न ही कोई बाड करके अतिक्रमण किया हुआ है।

{2}(V)–खसरा नं. 1200 कभी भी रास्ता की भूमि नही रही है तथा रास्ता आज दिन भी चालू है। उक्त भूमि को सेटलमेंट अधिकारियों ने गलत रूप से रास्ते के रूप में अंकित कर दिया। जिसको दुरूस्त करने के लिये राजस्व न्यायालय में नियमित वाद भी विचाराधीन है। रास्ता नही होने के बावजूद पटवारी

अपर कलक्टर, नागौर

हल्का ने गलत रिपोर्ट की। जिसके आधार पर अपीलांट को सुनवाई का विधिनुसार अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जो अवैध है।

{2}(VI)–अपीलांट को पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई फर्दो व उसके द्वारा दी गई साक्ष्य पर प्रतिपरीक्षा करने का अवसर दिये बिना ही व पटवारी हल्का के बयान लिये बिना ही केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया। जो अवैध है।

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा धुंधवालो की ढाणी में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अद्योपांत अध्ययन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके धुंधवालों की ढाणी के खसरा नंबर 1200 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिसका नियमन/आवंटन किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भी किया हुआ है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर
नागौर